रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—33004/99 REGISTERED NO. DL—33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II — Section 3 — Sub-secton (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2249] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2013/आश्विन 5, 1935
No. 2249] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013/ASVINA 5, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

विषयः मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास हेतु विनियम एवं दिशानिर्देश

(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

का. आ. 2922(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए, दिनांक 01-04-2011 की अधिसूचना का.आ. सं. 683(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए विनियमों एवं दिशानिर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :

संशोधन

खंड 2.1.1 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:—

पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए, न्यूनतम 1000 वर्ग मी. और उससे अधिक आकार के वैयक्तिक प्लॉट पर, मौजूदा अनुमत एफ.ए.आर. के 1.5 गुना की अनुमति होगी । इस उद्देश्य के लिए छोटे प्लॉटों के समामेलन की भी अनुमति होगी । योजनाओं में सर्विस लेन को भी सम्मिलित किया जा सकता है, तथापि इस क्षेत्र में एफ.ए.आर. नहीं दिया जाएगा परंतु इसे सम्पूर्ण योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे हरित क्षेत्र, पार्किंग आदि के लिए शामिल किया जा सकता है । 1000 वर्ग मीटर और इससे अधिक आकार के प्लॉटों की ऐसी पुनर्विकास योजनाओं में एफ.ए.आर. और उंचाई (एन आर-कोई प्रतिबंध नहीं, ए.ए.आई., दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से अनुमति के अधीन) को छोड़कर, औद्योगिक प्लॉटों की संबंधित श्रेणी की दि.मु.यो. 2021 तालिका 7.3 के विकास नियंत्रण मानदंड लागू होंगे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1996 एवं 2004 के आदेशों के अनुसरण में बनाई गई योजना(ओं) के अंतर्गत आबंटित औद्योगिक प्लॉटों के समामेलन तथा पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

[फा. सं. एफ.17(5)/2007/एम पी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2013

Sub. : Regulations and Guidelines for Redevelopment of Existing Planned Industrial Areas

(Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 2922(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the

Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in Regulations and Guidelines for Redevelopment of Existing Planned Industrial Areas which were notified *vide* Notification S.O. No. 683(E), dated 01-04-2011:

Amendments

Clause 2.1.1 is amended as follows :—

To incentivize redevelopment, 1.5 times the existing permissible FAR shall be permitted on an individual plot of minimum 1000 sqm and above. For that purpose amalgamation of smaller plots shall also be allowed. The service lane can also be included in the schemes, however, no FAR shall be granted on this area but the same can be included for public areas like green, parking, etc. in the overall schemes. In such redevelopment schemes on plots of 1000 sq m and above, development control norms of MPD-2021 table 7.3 of respective category of industrial plot shall be applicable except FAR and Height (NR-No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies). Amalgamation and reconstruction of industrial plots allotted under the scheme(s) framed pursuant to Supreme Court orders of 1996 and 2004 will not be permissible.

[F. No. F-17(5)/2007/MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.